सं. 7/4/2014/ई.III(ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

29 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लेखा वर्ष 2014-15 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस और उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना - उच्चतम गणना सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को लेखा वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 16.10.2015 के का. ज्ञा. सं. 7/24/2007/ई.III(ए) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा तदर्थ बोनस के भुगतान के प्रयोजन से 3500/- रुपए की मासिक परिलब्धि की उच्चतम गणना सीमा तय की गई थी। कतिपय मंत्रालयों/विभागों जिनमें 2014-15 में उत्पादकता संबद्ध बोनस प्रचलन में था, में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान, इस मंत्रालय की सहमति से 3500/- रुपए की मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा के आधार पर किया गया था।

2. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस और उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस), जो भी लागू हो, के भुगतान के प्रयोजन से उच्चतम गणना सीमा बढ़ाए जाने के मामले पर विचार किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्पादकता संबद्ध बोनस और तदर्थ बोनस, जो भी लागू हो, के भुगतान के प्रयोजन से मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा 01.04.2014 से अर्थात् लेखा वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित करके 7000/- रुपए होगी।

3. तदनुसार, उत्पादकता संबद्ध बोनस अथवा तदर्थ बोनस, जो भी लागू हो, जिसका भुगतान तदर्थ बोनस के संबंध में दिनांक 16.10.2015 के उपर्युक्त का. ज्ञा. के अनुसार और इस मंत्रालय की विशिष्ट सहमति के आधार पर वर्ष 2014-15 में प्रचलित संबंधित स्कीमों के तहत उत्पादकता संबद्ध बोनस के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी की गई संबंधित स्वीकृतियों के अनुसार लेखा वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को पहले ही किया जा चुका है, की गणना 3500/- रुपए के बजाए 7000/- रुपए मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा के आधार पर पुनः की जाएगी।

4. लेखा वर्ष 2014-15 के लिए इन आदेशों के तहत उत्पादकता संबद्ध बोनस अथवा तदर्थ बोनस, जो भी लागू हो, के भुगतान की पुनःगणना करते समय, अन्य सभी शर्तें जिनके तहत भुगतान किया गया था, अपरिवर्तित रहेंगीं।

अमरनाथ सिंह

5. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभागों में कार्यरत कर्मचारियों पर इनकी प्रयोज्यता के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक कार्यालय के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार अग्रेषित (सामान्य तौर पर भेजी जाने वाली अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।